



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उद्य-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2009/भाद्र 25, 1931

No. 539]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2009/BHADRA 25, 1931

गृह भवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 682(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 के साथ पठित, धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में स्पूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (स्पूह "क" पद) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहंताएं, आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहंताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्रारम्भिक गठन.—राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में पहले से कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के संबंध में, जो खुले विज्ञापन के माध्यम से भर्ती किए गए हैं, वह समझा जाएगा कि उन्हें अनुसूची में यथाअविकाधित शैक्षिक अहंताओं, अनुभव और आयु संबंधी अपेक्षाओं के प्रतिनिर्देश से, विभागीय चयन समिति द्वारा पद के संबंध में उनकी उपयुक्तता निर्धारित किए जाने के अधीन रहते हुए, इन भर्ती नियमों के निर्बन्धनानुसार सौधे भर्ती किए गए अध्यार्थियों के रूप में, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिकरण में उनकी नियुक्ति की तारीख वह तारीख होगी, जिसको वे विहित शैक्षिक अहंताएं और अनुभव अर्जित करेंगे।

5. निरहंता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञा है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों को कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं ढालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य विछुदे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद	सेवा में जोड़े गए अधवा अवधि	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सलाहकार (प्रचालन और संचार) आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	एक* (2009) *कार्यभार के और संचार) आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	37,400/- 67,000/- धन ग्रेड वेतन 10,000/- रु.	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्तत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्तत द्वारा या

प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों

द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्तति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे

प्रोन्तति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा

(12)

केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :—

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 37,400—67,000/- रु. के वेतनमान धन 8900 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है;

या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 37,400—67,000/- रु. के वेतनमान धन 8700 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है;

(12)

और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या रक्षा अध्ययन या वाणिज्य या कला या मानविकी या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

अनुभव :

(क) आवश्यक :

(i) रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार में पंद्रह वर्ष का अनुभव;

(ii) कार्य चालन संबंधी योजना या नीति विरचना या आपदा प्रबंधन या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार की योजनाओं या परियोजनाओं या ज्येष्ठ स्तरीय प्रबंधन की संकल्पना, तैयारी, समन्वय और प्रबंधन का अनुभव; और

(iii) भावी नेटवर्क या सूचना सुरक्षा या डाटा आधारित प्रबंधन नियंत्रण में नवीनतम उपनति और विकास का ज्ञान ।

(ख) वांछनीय :

(i) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों में सुसंगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।

(ii) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की परियोजनाओं के कार्यान्वयन या मूल्यांकन या पुनर्विलोकन या विश्लेषण का अनुभव ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

लागू नहीं होता । तथापि, भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे की सिफारिशों पर, कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाएगी :-

1. उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —अध्यक्ष
2. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य
3. सचिव, विशेष सचिव या अपर सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य

टिप्पण 1 : चयन समिति अध्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अध्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए के आधार पर, अपनी सिफारिशों करेगी ।

टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अध्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है ।

(14)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. संयुक्त सलाहकार *कार्यभार के (पुनर्वास और आधार पर पुतलद्वारा) परिवर्तन किया जा सकता है।	एक* (2009)	समूह 'क'	37,400- 67,000/- धन ग्रेड बेतन	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>(क) प्रोन्नति : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में इस वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पणी : जहां ऐसे कानिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा वरंतु वह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य संघों के ऐसे अधिकारियों में से :—</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश एवं धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 15,600—39,100/- रु. के बीतनानन धन 7600 रु. के ग्रेड बेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है;</p> <p>और</p>

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

शैक्षिक अर्हताएं :

(क) आवश्यक :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या आवृत्तिज्ञान या अर्थशास्त्र या सांखिकी या कला या मानविकी या कानून प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य।

(ख) बांधनीय

उपरोक्त (क) खंड में निर्दिष्ट सुसंगत विषय में डाक्टरेट डिग्री।

अनुभव :

(क) आवश्यक :

(i) केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकारों या संघ राज्य संघ प्रशासन में बाहर वर्ष का अनुभव;

(ii) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर कार्यचालन संबंधी विज्ञान योजनाओं की नीति विरचना, विश्लेषण, तैयारी और समन्वय या स्कॉन्स और योजनाओं की परियोजना विरचना, तैयारी और क्रियान्वयन या भूत्यांकन पुनर्वितांकन और मार्गीटारिंग का अनुभव।

(12)

## (ख) बांधनीय :

(i) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर, आपदा या शमन स्कीमों की तैयारी या मूल्यांकन या निष्पादन या मानीटीरिंग करेन का अनुभव ।

(ii) ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों में सुसंगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)

(14)

लागू नहीं होता । तथापि, भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे की सिफारिशों पर, सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी :—

1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —अध्यक्ष
2. संबंधित तकनीकी प्रधाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य
3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रधाग), गृह मंत्रालय —सदस्य
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य

टिप्पण 1 : चयन समिति अध्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अध्यर्थियों की शैक्षिक अहताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए के आधार पर, अपनी सिफारिशों करेंगी ।

टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अध्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखता है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. संयुक्त सलाहकार	एक* (2009) *कार्यभार के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	समूह 'क'	37,400— 67,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4. आधार पर				धन ग्रेड वेतन		
परिवर्तन किया			87,00/- रु.			
जा सकता है।						

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

(11)

(12)

प्रोन्ति हारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(क) प्रोन्ति : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है ।

(12)

**टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रान्ति के लिए विचार किया जा रहा है वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके हाल की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्टि के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो।

(ख) प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :—

(क) (i) जो मूल काड़र या विभाग में नियमित आधार पर सदूश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काड़र या विभाग में 15,600—39,100/- रु. के बेतनमान धन 7600 रु. के ग्रेड बेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में घांच वर्ष सेवा की है;

और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

**शैक्षिक अर्हताएं :**

(क) आवश्यक :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या आयुर्विज्ञान या अध्येतास्त्र या सांख्यिकी या रक्षा अध्ययन या कला या मानविकी या कारबाह प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी की किसी शाखा में या प्रैद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य।

(ख) वांछनीय

उपरोक्त (क) खंड में निर्दिष्ट सुसंगत विषय में डाक्टरेट डिग्री।

**अनुभव :**

(क) आवश्यक :

(i) केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या सुनिल स या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में बाहर वर्ष का अनुभव;

(ii) राज्य या राज्यीय स्तर पर, प्रवालित आपदा या शासन स्कीमों की तैयारी या मूल्यांकन या परियोजना मूल्यांकन, पुनर्विलोकन और मानीटरिंग का अनुभव।

(ख) वांछनीय :

(i) राज्य या राज्यीय स्तर पर, प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य करने का अनुभव;

(ii) राज्य या राज्यीय स्तर पर, प्रवालित आपदा या शासन स्कीमों की तैयारी या मूल्यांकन या निष्पादन या मानीटरिंग करने का अनुभव।

(iii) आपदाओं के प्रबन्धन या देख-रेख का अनुभव।

(iv) खातात प्राप्त राज्यीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों में सुसंगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्मत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काड़र बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम अनु-संसाध अपेक्षा प्रत्यक्ष करने की अपेक्षा तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

लागू नहीं होता । तथापि, भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होगें, की सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी :—

1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —अध्यक्ष
2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य
3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय —सदस्य
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य

टिप्पण 1 : चयन समिति अध्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अध्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए के आधार पर, अपनी सिफारिशें करेंगी ।

टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अध्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है ।

(14)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. संयुक्त सलाहकार (प्रबालन केंद्र)	एक* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	37,400- 67,000/- रु.	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)

प्रान्तिक द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(12)

(क) प्रोन्ति : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्ति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्ति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो ।

(ख) प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :—

(क)(i) जो मूल काड़र या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काड़र या विभाग में 15,600-39,100/- रु. के बेतनमान धन 7600 रु. के ग्रेड बेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(12)

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहताएं और अनुभव हैं ।

शैक्षिक अहताएं :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या अर्धशास्त्र या सांख्यिकी या रक्षा अध्ययन कला या मानविकी या वाणिज्य या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

अनुभव :

(क) आवश्यक :

(i) रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार में बाहर वर्ष का अनुभव;

(ii) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर की स्कीमों और योजनाओं की नीति विचारना, तैयारी और कार्यान्वयन या परियोजना मूल्यांकन, पुनर्विलोकन और मानीटारिंग का अनुभव ।

(ख) बांधनीय :

(i) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर, प्रचालित योजनाओं या आपदा अनुक्रिया या शमन स्कीमों की तैयारी या मूल्यांकन या निष्पादन या मानीटारिंग करने का अनुभव ।

(ii) राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आपदा प्रबन्धन संबंधी फायदेकर्ताओं या समितियों में भाग लेने का अनुभव ।

(iii) आपदाओं के प्रबन्धन या देख-रेख का अनुभव ।

(iv) रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार या ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों में सुसंतत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।

टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)

लागू नहीं होता । तथापि, भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी को अनुपोदन से की जाएगी :—

- सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —अध्यक्ष
- संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य
- संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय —सदस्य
- संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य

टिप्पणी 1 : चयन समिति, अध्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अध्यर्थियों की शैक्षिक अहताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समृच्छित मूल्य देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए, के आधार पर, अपनी सिफारिशों करेंगी ।

टिप्पणी 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनियिचत किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अध्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है ।

(14)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5. संयुक्त सलाहकार (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी)	एक* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	37,400- 67,000/- धन ग्रेड वेतन 8,700/- रु.	लागू नहीं होता धन ग्रेड वेतन लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता	
(8)			(9)			(10)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	
(11)			(12)				
<p>प्रोन्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>			<p>(क) प्रोन्ति : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।          टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्ति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्ति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :—</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 15,600-39,100/- रु. के वेतनमान धन 7600 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में चांच वर्ष सेवा की है;</p> <p>और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं :</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या कारबार प्रशासन या रक्षा अध्ययन में मास्टर डिग्री या इलैक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री या समतुल्य।</p> <p>अनुभव :</p> <p>(क) आवश्यक :</p> <p>(i) रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या पुलिस बेतार और संचार या दूरसंचार या सूचना प्रौद्योगिकी में बारह वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ii) बृहत् समेकित संचार नेटवर्क की नीति क्रियान्वयन, तैयारी और देख-रेख का अनुभव;</p> <p>(iii) भावी पांडी नेटवर्क या डाटा आधारित प्रबन्धन में संचार या सूचना सुरक्षा या विकास के क्षेत्र में नवीनतम उपनिति और विकास का ज्ञान।</p> <p>(ख) बांधनीय :</p> <p>(i) राष्ट्रीय स्तर पर संचार परियोजनाओं की विचारना या तैयारी या क्रियान्वयन का अनुभव;</p>				

(12)

(ii) डाटा फ्यूजन केंद्र, डाटा प्रत्युद्धरण और साइबर स्पेस संरक्षण की स्थापना का अनुभव।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, सोधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

(14)

लागू नहीं होता। तथापि, भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे की

लागू नहीं होता।

सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी-के अनुमोदन से की जाएगी :

उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा

1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण—अध्यक्ष

2. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण—सदस्य

3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय—सदस्य

4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण—सदस्य

टिप्पण 1 : चयन समिति और्ध्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अध्यर्थियों

की शैक्षिक अहताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में

उनके प्रदर्शन को सम्मूचित महत्व देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधारित किया

जाए, के आधार पर, अपनी सिफारिशों के रूप में उनका उपलब्ध कराया जाएगा।

टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति,

समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के

लिए बुलाए जाने वाले अध्यर्थियों की संख्या का कम करने का अधिकार

आरक्षित रखती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. सहायक सलाहकार केन्द्र)	एक* (2009) *कार्यधार के प्राचलन आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' 39,100	15,600/- धूम, में वर्तन 6,600/- रु	लागू नहीं होता	नहीं लागू	नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति :—केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या



(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रतिनियुक्ति :</b>—केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या अन्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :—</p> <p>(क) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में 9300—34,800 रु. के बेतनमान धन 5,400 रु. के ग्रेड बेतन या समतुल्य में, उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—</p> <p><b>शैक्षिक अर्हताएं :</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रॉनिक्स या सूचनात्मक प्रैद्योगिकी या दूरसंचार में बैचलर डिग्री या समतुल्य।</p> <p><b>अनुभव :</b></p> <p>रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या पुलिस बेतार और संचार या दूरसंचार में संचार नेटवर्क परियोजनाओं के देख-रेख का पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पणि 1 :</b> अनुभव संबंधित अपेक्षा को, अन्यथा सुअर्हित अध्यर्थियों की दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमूली के स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों पर, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, शिखिल किया जा सकता है।</p> <p><b>टिप्पणि 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणि 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(13)	(14)
लागू नहीं होता। तथापि, भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे की सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी :—	लागू नहीं होता।

1. सचिव या विदेशी सचिव, राष्ट्रीय आयदा प्रबंधन प्राधिकरण —अध्यक्ष
2. संबंधित तकनीकी प्रधान का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
3. संयुक्त सचिव (आयदा प्रबंधन प्रधान), गृह मंत्रालय
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

—सदस्य  
—सदस्य  
—सदस्य  
—सदस्य

**टिप्पणि 1 :** चयन समिति अध्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अध्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अधिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए, के आधार पर, अपनी सिफारिशों करेंगी।

**टिप्पणि 2 :** जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अध्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. सहायक सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी)	एक* (2009) *कार्यभार के (सूचना आधार पर प्रौद्योगिकी) परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	15,600- 39,100 रु.	लागू नहीं होता धन ग्रेड वेतन 6,600 रु.	नहीं	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति :—केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 9300—34,800 रु. के वेतनमान धन 5,400 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य में, उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :— शैक्षिक अर्हताएं :— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रॉनिक्स या सूचनात्मक प्रौद्योगिकी या दूरसंचार में बैचलर डिग्री या समतुल्य । अनुभव :— सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के देख-रेख का पांच वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1 : अनुभव संबंधित अपेक्षा को, अन्यथा सुअर्हित अध्यर्थियों की दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों पर, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, शिथिल किया जा सकता है। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन आपदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
लागू नहीं होता। तथापि, भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे की सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन संकेत की जाएगी :— 1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —अध्यक्ष 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य 3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय —सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	लागू नहीं होता।

(13)

टिप्पणी 1 : चयन समिति अध्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अध्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए, के आधार पर, अपनी सिफारिशों करेगी।

**टिप्पणी 2 :** जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. छ्यूटी अधिकारी (प्रचलन केन्द्र)	2* (2009) (कार्यभार के आधार पर जा सकता है।)	समूह 'क' *(कार्यभार के आधार पर जा सकता है।)	15,600- 39,100 रु. धन ग्रेड वर्तन 6600 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

$$(8) \quad \text{and} \quad (9) \quad (10)$$

**प्रतिनियुक्ति द्वारा** **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार द्य रक्षा बलों द्य केन्द्रीय पुलिस संग वा सैन्य सरकारों द्य संघ राज्य क्षेत्रों क्वे एसे अधिकारियों में संचे :

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं तो उनका विवरण यह हो सकता है कि वे विभाग के किस पद पर किस तरह की कार्यता करते हैं। उनका विवरण यह हो सकता है कि वे विभाग के किस पद पर किस तरह की कार्यता करते हैं।

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 9,300-34,800 रु. के वेतनमान अनुसार विभिन्न पदों पर कार्यता की है। उनका विवरण यह हो सकता है कि वे विभाग के किस पद पर किस तरह की कार्यता करते हैं। उनका विवरण यह हो सकता है कि वे विभाग के किस पद पर किस तरह की कार्यता करते हैं।

(छ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनधिक होती हैं :

शैक्षिक अहंताः

इनकूपक उत्तमात् ।  
कर्मात् एवं तु अत्र भवति अत्र इति विद्युतीया किसी चान्यतोत्त्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या वैदिक विद्या या वैज्ञानिक विद्या या इतिहास या रेखा अध्ययन या वाणिज्य या कारबाह प्रशासन में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी या पैदोगिकी में डिग्री या समतल्य ।

Digitized by srujanika@gmail.com

रक्षा बलों या कंद्रीय पुलिस संगठनों च्या युलिस या दूरसंचार में प्रशासन उंचाई यांच्या शेजांमध्ये आहि तरी यांच्या लाईट्स कॅमेरा असतात.

टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत कर्त्त्वीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काउंसिल वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होती।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आंयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 दिन से अधिक नहीं होगी।

(13)

लागू नहीं होता। तथापि, भर्ती, चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे की सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी :—

- सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —अध्यक्ष
- संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य
- संयुक्त सचिव (प्रशासन प्रभाग), गृह मंत्रालय —सदस्य
- संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय —सदस्य
- संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य

टिप्पण 1 : चयन समिति अध्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अध्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए, के आधार पर, अपनी सिफारिशों करेगी।

**टिप्पणी 2 :** जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मानदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अध्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।

(14)

लाल चहारी होता ।

1990-1991

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. ज्येष्ठ	9* (2009)	समूह 'क'	15,600-	लागू नहीं	नहीं
अनुसंधान	*(कार्यभार के		39,100 रु.	होता	
अधिकारी	आधार पर		धन ग्रेड बेतन		
	परिवर्तन किया		6600 रु.		
	जा सकता है।)				

35 वर्ष ।

क्रन्त्रीय सकारा द्वारा समय-समय  
में जारी किए गए अनुदेशों वा  
आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों  
के लिए, साधारण अध्यर्थियों की  
दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक<sup>उत्तिथा</sup> असुचित जाति वा अनुसुचित  
जनजाति के अध्यर्थियों की दशा में  
शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा  
सकती है ।)

टिप्पणी १ : शायु-सामा अवधारणा  
करने के लिए निर्णायक तारीख  
भारत में अध्यर्थियों से आवेदन  
प्राप्त करने के लिए नियत की गई  
अंतिम तारीख होगी । (न कि वह  
अंतिम तारीख ज्ञान असम, मेघालय,  
अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम,  
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,  
सिक्किम, जम्मू-कश्मीर सर्ज़ के  
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के  
लाहौल और स्पीति जिले तथा  
चम्बा जिले के पांगी उप-खंड,  
अंदमान और निकोबार द्वीप या  
लक्ष्मीनाथ के अध्यर्थियों के लिए  
विहित की गई है ।)

(8)	(9)	(10)
(क) शैक्षिक अहंताएं	लागू नहीं होती	एक वर्ष। परिवार्का की अवधि, प्रत्येक अवसर पर, अधिकतम छह मास की और अवधि के लिए दो बार बढ़ाई जा सकती है।
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समतुल्य से कला में भास्टर या विज्ञान में मास्टर या पशु-चिकित्सा विज्ञान में बैचलर या आयुर्विज्ञान में बैचलर और शल्य चिकित्सा में बैचलर या प्रौद्योगिकी में बैचलर या सुसंगत क्षेत्र में इंजीनियरी में बैचलर या समतुल्य डिग्री; या		
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समतुल्य से दर्शनशास्त्र में मास्टर या पशु-चिकित्सा विज्ञान में मास्टर या सुसंगत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में मास्टर या समतुल्य डिग्री; या		
(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समतुल्य से दर्शनशास्त्र में डाक्टरेट या आयुर्विज्ञान में डाक्टरेट या सुसंगत क्षेत्र में शल्य चिकित्सा में मास्टर या समतुल्य डिग्री; या		
(ख) अनुभव		
(i) उन व्यक्तियों के लिए पांच वर्ष का अनुभव, जिनके पास उपरोक्त मद (i) में निर्दिष्ट शैक्षिक अहंताएं हैं।		
(ii) उन व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष का अनुभव, जिनके पास उपरोक्त मद (ii) में निर्दिष्ट शैक्षिक अहंताएं हैं।		
(iii) उन व्यक्तियों के लिए दो वर्ष का अनुभव, जिनके पास उपरोक्त मद (iii) में निर्दिष्ट शैक्षिक अहंताएं हैं।		
टिप्पणी—आपदा प्रबंधन वा अपेक्षित क्षेत्र में अनुभव को टीक-ठीक प्रकृति, सुसंगत पदों के लिए विज्ञापन में उपलब्धित की जाएगी।		
(11)	(12)	
50% सीधी भर्ती द्वारा, 50% प्रतिनियुक्त द्वारा (जिसके अंतर्गत अन्य-कालिक संविदा और आमेलन आधार पर प्रतिनियुक्ती भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यकान्त्रों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपकरणों या मान्यताप्राप्त अकादमिक या अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थाओं और अर्डेसरकारी या कानूनी या स्वायत्त या स्थानीय निकायों के ऐसे अधिकारियों में से		
	(क)(i) जो मूल काउंसल या विभाग में नियमित आधिकार पर लड्डा या धारण किया हुए हैं; या	
	(ii) जिन्होंने मूल काउंसल या विभाग में 9,300—34,800 रु. के बीतनमान धन 5,400 रु. के ग्रेड बेन्फ या समतुल्य में, उस पद पर, नियुक्त के पश्चात, नियमित आधार पर, उस क्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और	

(12)

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सेविदा भी है) या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या किन्हीं कारणों से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सेविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)

(14)

(क) भर्ती के लिए विभागीय चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता ।

1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —अध्यक्ष
2. सलाहकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)
3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय —सदस्य
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य

(ख) विभागीय प्रान्ति समिति (सीधी भर्ती के व्यक्तियों की पुष्टि के लिए) की संरचना वही होगी जो ऊपर है ।

टिप्पण 1 : चयन समिति अध्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अध्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए, के आधार पर आपनी सिफारिशें करेगी ।

टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मानदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अध्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है ।

टिप्पण 3 : इस स्तंभ में विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा की गई सिफारिशें अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी जाएंगी ।

[फा सं. 44-19/2006-एनडीएम-III(A)/IV]

ओ. रवि, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2009

**G.S.R. 682(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5, read with Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' posts in the National Disaster Management Authority, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Disaster Management Authority (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

**4. Initial Constitution.**—Senior Research Officers already working in the National Disaster Management Authority, having been recruited through an open advertisement, shall be deemed to have been appointed as Senior Research Officers as direct recruits in terms of these Recruitment Rules, subject to their suitability for the post being assessed by the Departmental Selection Committee, with reference to the requirements of educational qualifications, experience and age, as laid down in the Schedule. Their date of appointment in the National Disaster Management Authority shall, however, be the date on which they acquired the prescribed educational qualifications and experience.

**5. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Advisor (Operations and Communications)	1*(2009) *Subject to variation and dependent workload.	Group 'A'	Rs. 37,400-67,000 Plus Grade Pay Rs. 10,000	Not applicable	No	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

<b>Method of recruitment</b> : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11) By deputation	(12) From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or State Governments or Union Territories: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay Rs. 8,900 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay Rs. 8,700 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing following educational qualifications and experience :— <b>Essential Educational Qualifications:</b> Master's Degree in Science or Economics or Statistics or Defence Studies or Commerce or Arts or Humanities or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a recognised university or institute or equivalent. <b>Experience:</b> (a) <b>Essential:</b> (i) fifteen years' experience in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications; (ii) experience in operational plan or policy formulation or disaster management or conceptualisation, preparation, coordination and management of plans or projects or Senior level management of Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications; and (iii) knowledge of latest trends and developments in next generation networks or information security or data based management control. (b) <b>Desirable:</b> (i) having undergone training in the relevant fields at national or international institutes or organisations; (ii) experience of implementation or appraisal or review or analysis of projects of communication and information technology. <b>Note 1</b> : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years. <b>Note 2</b> : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	---

(13)

(14)

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet on the recommendations of a Selection Committee consisting of:

1. Vice Chairperson, National Disaster Management Authority. —Chairman
2. Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority. —Member
3. Secretary or Special Secretary or Additional Secretary in the Ministry of Home Affairs —Member

**Note 1 :** The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

**Note 2 :** When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Joint Advisor (Rehabilitation and Recovery).	1*(2009) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Rs. 37,400-67,000 Plus Grade Pay Rs. 8,700	Not applicable	No	Not applicable

(8)

(9)

(10)

Not applicable

Not applicable

Not applicable

(11)

(12)

By promotion, failing which by deputation (A) **Promotion** : From amongst the Senior Research Officers working in the National Disaster Management Authority with ten years of regular service in the grade.

**Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(B) **Deputation** : From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union territories;

(12)

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;  
or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs.15,600-39,100 plus Grade Pay Rs.7,600 or equivalent in the parent cadre or department;

and

(b) possessing following educational qualifications and experience:

**Educational Qualifications:**

**(a) Essential :**

Master's Degree in Science or Medicine or Economics or Statistics or Arts or Humanities or Commerce or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a recognised university or institute or equivalent.

**(b) Desirable:**

Doctorate Degree in the relevant subject referred to in clause (a) above.

**Experience :**

**(a) Essential :**

(i) twelve years' experience in Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories administration;

(ii) experience in policy formulation, analysis, preparation and co-ordination of development plans or project formulation, preparation and implementation or appraisal, review and monitoring of schemes and plans operational at state or national level.

**(b) Desirable:**

(i) experience in preparation or appraisal or execution or monitoring of disaster or mitigation schemes at state or national level;

(ii) having undergone training in the relevant fields at reputed national or international institutes or organisations.

**Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.

**Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

(14)

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:

Not applicable

1. Secretary or Special Secretary,  
National Disaster Management Authority —Chairman
2. Advisor of concerned Technical Division,  
National Disaster Management Authority —Member
3. Joint Secretary (Disaster Management Division)  
in the Ministry of Home Affairs —Member
4. Joint Secretary (Administration and Coordination),  
National Disaster Management Authority —Member

(13)

**Note 1 :** The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

**Note 2 :** When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Joint Advisor (Capacity Building and Training)	1* (2009) *Subject to variation	Group 'A'	Rs. 37,400-67,000 Plus Grade Pay Rs. 8,700	Not applicable	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By promotion, failing which by deputation	(A) <b>Promotion :</b> From amongst the Senior Research Officers working in the National Disaster Management Authority with ten years of regular service in the grade.

**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(B) **Deputation:** From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories:

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;  
or  
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs.15,600-39,100 plus Grade Pay Rs.7,600 or equivalent in the parent cadre or department;

and

(b) possessing following educational qualifications and experience:

**Educational Qualifications:**

(a) **Essential :**

Master's Degree in Science or Medicine or Economics or Statistics or Defence Studies or Arts or Humanities or Commerce or Business Administration or Degree in any branch of Engineering or Technology from a recognised university or institute or equivalent.

(12)

## (b) Desirable:

Doctorate Degree in the relevant subject referred to in clause (a) above.

## Experience :

## (a) Essential :

(i) twelve years' experience in Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories administration;

(ii) experience in policy formulation, preparation and implementation or project appraisal, review and monitoring of schemes and plans at state or national level.

## (b) Desirable:

(i) experience of working in Training Institutes at state or national level;

(ii) experience of preparation or appraisal or execution or monitoring of disaster or mitigation schemes operational at state or national level;

(iii) experience in management or handling of disasters;

(iv) having undergone training in the relevant fields at reputed national or international institutes or organisations.

**Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.

**Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

(14)

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:

Not applicable.

1. Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority	—Chairman
2. Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority	—Member
3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs	—Member
4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority	—Member

**Note 1 :** The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

**Note 2 :** When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Joint Advisor (Operations Centre)	1*(2009) *Subject	Group 'A'	Rs. 37,400-67,000 Plus Grade Pay Rs. 8,700	Not applicable	No.	Not applicable
(8)	(9)	(10)				
Not applicable	Not applicable	Not applicable				
(11)	(12)					
By promotion, failing which by deputation	<p><b>(A) Promotion :</b> From amongst the Senior Research Officers working in the National Disaster Management Authority with ten years of regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>(B) Deputation :</b> From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories;</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay Rs. 7,600 or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">a n d</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience :</p> <p><b>Educational Qualifications :</b></p> <p>Master's Degree in Science or Economics or Statistics or Defence Studies or Arts or Humanities or Commerce or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a recognised University or Institute or equivalent.</p> <p><b>Experience :</b></p> <p><b>(a) Essential :</b></p> <p>(i) twelve years' experience in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications;</p> <p>(ii) experience in policy formulation, preparation and implementation or project appraisal, review and monitoring of schemes and plans at state or national level.</p> <p><b>(b) Desirable :</b></p> <p>(i) experience or preparation, appraisal, execution or monitoring of operational plans or disaster response or mitigation schemes operational at state or national level;</p> <p>(ii) experience of attending courses or seminars on disaster management at national or international level;</p>					

(12)

- (iii) experience in management or handling of disasters;
- (iv) having undergone training in the relevant fields at reputed national or international or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications institutes or organisations.

**Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.

**Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

(14)

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:

1. Secretary or Special Secretary,  
National Disaster Management Authority —Chairman
2. Advisor of concerned Technical Division,  
National Disaster Management Authority —Member
3. Joint Secretary (Disaster Management Division)  
in the Ministry of Home Affairs —Member
4. Joint Secretary (Administration and Coordination),  
National Disaster Management Authority —Member

**Note 1 :** The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

**Note 2 :** When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Joint Advisor (Communications and Information Technology) workloads.	1*(2009) *Subject to variation	Group 'A'	Rs. 37,400-67,000 Plus Grade Pay Rs. 8,700	Not applicable	No	Not applicable

(8)

(9)

(10)

Not applicable

Not applicable

Not applicable

3399 95709-4

(11)

(12)

By promotion, failing which by deputation (A) Promotion : From amongst the Senior Research Officers working in the National Disaster Management Authority with ten years of regular service in the grade.

**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(B) Deputation: From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories;

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;  
or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay Rs. 7,600 or equivalent in the parent cadre or department;

and

(b) possessing following educational qualifications and experience:

**Educational Qualifications:**

Master's Degree in Science or Business Administration or Defence Studies or Degree in Electronics or Telecommunications or Information Technology or Computer Science from a recognised University or Institute or equivalent.

**Experience:**

(a) **Essential:**

(i) twelve years' experience in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Police Wireless and Communications or Telecommunications or Information Technology;

(ii) experience in policy formulation, preparation and handling of large integrated communication networks;

(iii) knowledge of latest trends and developments in the field of communication or information security or developments in next generation networks or data based management.

(b) **Desirable:**

(i) Experience in formation or preparation or implementation of communication projects at national level;

(ii) Experience in establishment of data fusion centre, data recovery and cyber space protection;

**Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.

**Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

(14)

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:

Not applicable

(13)

1. Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority	—Chairman
2. Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority	—Member
3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs	—Member
4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority	—Member

**Note 1 :** The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

**Note 2 :** When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Assistant Advisor (Operations Centre).	1*(2009) *Subject (Operations to variation dependent on workload.	Group 'A'	Rs. 15,600-39,100 Plus Grade Pay Rs. 6,600	Not applicable	No.	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By deputation	<p><b>Deputation:</b> From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories;</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">o r</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pay Rs. 5,400 or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">a n d</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience:</p> <p><b>Educational Qualifications:</b></p> <p>Bachelor's degree from a recognised university or institute or equivalent.</p> <p><b>Experience:</b></p> <p>(i) five years' experience in administration and operational areas in Defence Forces or Central Police Organisations or Police.</p>

(12)

Note 1 : The requirement of experience is relaxable by the Central Government on the recommendations of the Selection Committee specified in column (13) of the Schedule in the case of candidates otherwise well qualified, for reasons to be recorded in writing.

**Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.

**Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

(14)

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:

Not applicable

1. Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority	—Chairman
2. Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority	—Member
3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs	—Member
4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority	—Member

Note 1 : The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

**Note 2 :** When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Assistant Advisor (Communications).	1*(2009) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Rs. 15,600-39,100 Plus Grade Pay Rs. 6,600	Not applicable	No.	Not applicable
(8)	(9)	(10)				
Not applicable	Not applicable	Not applicable				

(11)	(12)
By deputation	<p><b>Deputation:</b> From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union territories;</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; o r (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pay Rs. 5,400 or equivalent in the parent cadre or department; a n d</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience:</p> <p><b>Educational Qualifications:</b> Bachelor's Degree in Computer Science or Electronics or Informational Technology or Telecommunications from a recognised university or institute or equivalent.</p> <p><b>Experience:</b> (i) five years' experience in handling of communication network projects in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Police Wireless and Communications or Telecommunications.</p> <p><b>Note 1 :</b> The requirement of experience is relaxable by the Central Government on the recommendations of the Selection Committee specified in column (13) of the Schedule in the case of candidates otherwise well qualified, for reasons to be recorded in writing.</p> <p><b>Note 2 :</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p><b>Note 3 :</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.</p>

(13)	(14)
Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:	Not applicable

1. Secretary or Special Secretary,  
National Disaster Management Authority —Chairman

2. Advisor of concerned Technical Division,  
National Disaster Management Authority —Member

3. Joint Secretary (Disaster Management Division)  
in the Ministry of Home Affairs —Member

4. Joint Secretary (Administration and Coordination),  
National Disaster Management Authority —Member

**Note 1 :** The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

**Note 2 :** When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Assistant Advisor (Information Technology).	I*(2009) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Rs. 15,600—39,100 Plus Grade Pay Rs. 6,600	Not applicable	No.	Not applicable
(8)	(9)	(10)				
Not applicable	Not applicable	Not applicable				
(11)	(12)					
By Deputation	Deputation: From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories; (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800 plus Grade Pay Rs. 5,400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing following educational qualifications and experience: <b>Educational Qualifications:</b> Bachelor's Degree in Computer Science or Electronics or Informational Technology or Telecommunications from a recognised university or institute or equivalent. <b>Experience:</b> Five years' experience in handling of information Technology Networks. <b>Note 1 :</b> The requirement of experience is relaxable by the Central Government on the recommendations of the Selection Committee specified in column (13) of the Schedule in the case of candidates otherwise well qualified, for reasons to be recorded in writing. <b>Note 2 :</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years. <b>Note 3 :</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.					
(13)	(14)					
Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:						
1. Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority	—Chairman					
2. Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority	—Member					
3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs	—Member					

(13)

4. Joint Secretary (Administration and Coordination),  
National Disaster Management Authority —Member

Note 1 : The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

Note 2 : When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
9. Duty Officer (Operations Centre)	2*(2009) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Rs. 15,600-39,100 Plus Grade Pay Rs. 6,600	Not applicable	No.	Not applicable				
(8)	(9)					(10)				
Not applicable	Not applicable					Not applicable				
(11)	(12)									
By Deputation	<p><b>Deputation:</b> From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories;</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; o r</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pay Rs. 5,400 or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>a n d</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience:</p> <p><b>Educational Qualifications:</b></p> <p>Bachelor's Degree in Science or Economics or Statistics or Defence Studies or Commerce or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a recognised university or institute or equivalent.</p> <p><b>Experience:</b></p> <p>Five years' experience in administration and operational areas, etc., in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications.</p> <p><b>Note 1 :</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p><b>Note 2 :</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.</p>									

(13)

(14)

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:—

Not applicable

1. Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority	—Chairman
2. Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority	—Member
3. Joint Secretary (Administration Division) in the Ministry of Home Affairs	—Member
4. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs	—Member
5. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority	—Member

**Note 1 :** The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

**Note 2 :** When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Senior Research Officer	9* (2009)	Group 'A' *Subject to variation dependent on workload.	Rs. 15,600-39,100 Plus Grade Pay Rs. 6,600	Not applicable	No	35 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep.

(8)	(9)	(10)
<b>(A) Educational Qualifications :</b>	Not applicable	One year. The probation period is extendable twice by a further period of maximum six months on each occasion.
(i) Master of Arts, or Master of Science or Bachelor of Veterinary Science or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery or Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering in the relevant field from a recognised university equivalent, or institute or equivalent degree,		
or		
(ii) Master of Philosophy or Master of Veterinary Science or Master of Technology in the relevant field from a recognised university or institute or equivalent, or equivalent degree,		
or		
(iii) Doctor of Philosophy or Doctor of Medicine or Master of Surgery in the relevant field from a recognised university or institute or equivalent, or equivalent degree.		
<b>(B) Experience :</b>		
(i) five years' experience for those possessing educational qualification referred to in item (i) above.		
(ii) three years' experience for those possessing educational qualification referred to in item (ii) above.		
(iii) two years' experience for those possessing educational qualification referred to in item (iii) above.		
Note : The exact nature of experience in the required area of disaster management shall be indicated in the advertisement for the relevant posts.		

(11)	(12)
50% by direct recruitment; 50% by deputation (including short-term contract and deputation on absorption basis), failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contact and deputation on absorption basis): From amongst the officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Public Sector Undertakings or Recognised Academic or Research or Training Institutions, and Semi-Government or Statutory or Autonomous or Local Bodies;
	(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;
	o r
	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pay Rs. 5,400 or equivalent in the parent cadre or department;
	and
	(b) possessing educational qualifications and experience prescribed under column (8):
	<b>Note 1 :</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.
	<b>Note 2 :</b> The vacancies caused on account of the incumbents being away on deputation (including short-term contract) or on long illness or on study leave or due to any other reason for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government.

(12)

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract and deputation on absorption basis) shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

(14)

(A) The Departmental Selection Committee for recruitment shall consist of:—

Not applicable

1. Secretary or Special Secretary,  
National Disaster Management Authority —Chairman
2. Advisor, National Disaster Management Authority  
(to be nominated by Vice Chairman, National Disaster Management Authority). —Member
3. Joint Secretary (Disaster Management Division)  
in the Ministry of Home Affairs —Member
4. Joint Secretary (Administration and Coordination),  
National Disaster Management Authority —Member

(B) The composition of the Departmental Promotion Committee (for confirmation of direct recruits) shall be same as above.

**Note 1 :** The Departmental Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record (wherever applicable) as well as their performance in the interview.

**Note 2 :** Where the number of applications received is large, the Departmental Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be adopted by the Committee.

**Note 3 :** The recommendations made by the Committees specified in this column shall be put up to the competent authority for approval.

[F. No. 44-19/2006-NDM-III(A)/TV]

O. RAVI, Jt. Secy.